

OS ATC
24/8/17

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (गुप-2) विभाग


क्रमांक प.1(1)चिस्वा/2/2017

जयपुर, दिनांक : 02.08.2017

आदेश


माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका संख्या 2808/12 में प्रदत्त निर्णय की पालना में डा. भाल सिंह, चिकित्सा अधिकारी (मनोरोग), जिला अस्पताल, पावटा, जोधपुर का स्थानान्तरण/पदस्थापन केन्द्रीय कारागार, जोधपुर में, रिक्त पद पर तुरन्त प्रभाव से किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(पारस चन्द जैन)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, मा. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सचिव, मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
4. निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज. जयपुर
5. अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, जोधपुर
6. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोधपुर
7. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, पावटा, जोधपुर
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर
9. संबंधित अधिकारी
10. कम्प्यूटर सेल/निजी/रक्षित पत्रावली
11. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश आज ही विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावे।


(मोहन लाल वर्मा)
शासन सहायक सचिव

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक:- संस्था/चिअ/एटी/प02/17/519

दिनांक:- 02/08/2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय राजस्थान जयपुर।
2. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (ग्रुप-2), राजस्थान जयपुर।
4. निजि सचिव महानिदेशक कारागार राजस्थान, जयपुर।
5. संबंधित जेल अधीक्षक कारागार राजस्थान।
6. संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन संबंधित।
7. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय पावटा, जोधपुर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त चिकित्सक को कार्यमुक्त कर संबंधित जेल में कार्यग्रहण करवाना सुनिश्चित करें। कार्यग्रहण नहीं करने की स्थिति इनके विरुद्ध सीसीए नियमों के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु आरोप पत्रादि तैयार कर शीघ्र भिजवाना सुनिश्चित करें।
8. सम्बन्धित चिकित्सक को पालनार्थ
9. प्रभारी केन्द्रीय सर्वर कक्ष, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को आज ही विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
10. आदेश/निजि पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर